बिहार विधान सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि १४ अप्रिल, १९५०

विषय सूची

	पृष्ठ
तारांकित प्रश्नोत्तर	... १–९८
सभी की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये श्री मुनीन्द्रनाथ मुखर्जी का आवेदन	... ९९
विधान कार्य : गैरसरकारी विधेयक:	... ९९
बिहार टेनेन्सी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५०	
[१९५० का वि० स० १८]—(पुरःस्थापित हुआ)	... ९९
बिहार गोशाला बिल, १९४७	
[विधान परिषद द्वारा यथास्वीकृत]—(स्थगित हुआ)	... १००–१०५
बिहार डावरी रेसट्रेन्ट बिल, १९४८	
[१९४८ का वि० स० १२] (स्वीकृत)	... १०६–१४०
गैर सरकारी संकल्प :	... १४०
गंडक योजना (क्रमशः)	... १४०–१४१

को ट्रैक्टर द्वारा कर्षण करने का सुझाव कई बार दिया;

(घ) यदि खंड (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या कारण है कि सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया;

(ङ) क्या यह सत्य है कि एक सरकारी ट्रैक्टर मधेपुरा में बेकार पड़ा हुआ है, यद्यपि बहुत किसान हैं, जो उस व्यवहार में लाना चाहते हैं, यदि उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस तरह ट्रैक्टर बेकार पड़े रहने का क्या कारण है ?

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय :

(क) राज्य-सरकार को यह मालूम है कि सहरसा सब-जिला में कर्षण के लिए ३६५,२०६ एकड़ बंजर भूमि है।

(ख) सन् १९४९-५० के लिये भूमि सुधार सहाय्य के रूप में सरकार ने ५,००,००० रु० की स्वीकृति दी है। इस सहाय्य में से जनवरी, १९५० के अंत तक ४०,४५८ रु० वितरित किया जा चुका है तथा शारीरिक परिश्रम द्वारा १०,५९७.६८ एकड़ बंजर भूमि जोती गयी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि कर्षण के लिए ९ ट्रैक्टर सहरसा भेजे गये हैं तथा पूर्ण तत्परता के साथ काम चल रहा है। अब तक ट्रैक्टर द्वारा ३४६ एकड़ जमीन कर्षित की गयी है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) कुछ पार्ट टूट जाने के कारण एक ट्रैक्टर कुछ दिनों तक मधेपुरा में पड़ा हुआ था। उसके टूटे पार्ट (यंत्रांश) बदल दिये गये हैं तथा सुपौल सबडिवीजन के बेना ग्राम में इस समय वह ट्रैक्टर चल रहा है।

मुंगेर जिले के मोहनपुर गांव के समीप स्लुइस गेट

२४। **श्री सरयू प्रसाद सिंह :** क्या माननीय मंत्री, सिंचाई विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) मुंगेर जिले के बेगूसराय सबडिवीजन के अन्दर गंडक नदी के दक्षिण परवंदा; मुसमारा तथा मोहनपुर के निकट स्लुइस गेट के साथ गंडक नदी के किनारों से निकली धार के मुखों के बांधने की कोई योजना चल रही है;

(ख) यदि हां तो कब से और वह किस स्टेज में है;

(ग) क्या यह बात सही है कि इस योजना की पूर्ति होने से करीब-करीब ६२ माईल की रकबा की फसलें बाढ़ से बच सकेगी;

(घ) यदि उत्तर 'हां' हो तो क्या सरकार इसको कार्यान्वित करने की कृपा करेंगी ?

माननीय श्री रामचरित्र सिंह :

(क) उत्तर "हां" में है।

(ख) करीब एक वर्ष से एस्टीमेट और नक्शा चीफ इंजीनियर द्वारा जांच किया जा रहा है।

(ग) आशा है कि इस योजना से करीब ३०,००० एकड़ भूमि बाढ़ से बचाई जा सकेगी और इसमें ठीक समय पर रब्बी फसल लगाई जा सकेगी।

(घ) बिहार पब्लिक इरीगेशन और ड्रैनेज वर्क्स ऐक्ट, १९४७ के अनुसार आवश्यक उपचार किये जा रहे हैं। चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट के आने के बाद जहां तक संभव है जल्द से जल्द कार्रवाई की जायगी।

आबाद की गयी जमीनों की हरिजनों के साथ बन्दोबस्ती

२५। श्री चेतू राम

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) जिले में कितनी एकड़ जमीन १९४९ में रिक्लेम की गई;

(ख) आबाद की गई कितनी एकड़ जमीन हरिजनों के साथ बन्दोबस्त की गयी है और किस जिले में कितनी जमीन हरिजनों के साथ बन्दोबस्त की गयी है?

माननीय श्री के० बी० सहाय :

(क) आवश्यक सूचना देते हुए विवरण मेज पर रखा है।

(ख) जिन व्यक्तियों को ये जमीन थीं उनके नाम या जाति की गणना नहीं की गयी है। इनमें से बहुत सी जमीनों का कर्षण स्वयं किसानों ने, सरकार से भूमि सुधार ऋण लेकर किया है और सरकार का कब्जा उन पर नहीं है। ट्रैक्टर से कर्षण किये गये ५,५६९ एकड़ जमीन भी या तो कृषकों के अधिकार में हैं या ऐसे क्षेत्रों के जहां उन पर सरकार का अधिकार हो गया है अभी कर्षण किया हो रही है। अभी इन जमीनों को किसी भी व्यक्ति के साथ बन्दोबस्त नहीं किया गया है क्योंकि वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन ऐक्ट के अधीन इन जमीनों को किसी के साथ स्थायी रूप से बन्दोबस्त करने का अधिकार सरकार को नहीं है। ऐसी जमीनों पर सरकार का अधिकार केवल १० वर्ष की अवधि तक सीमित है और अधिकतर जमीन के मालिक जमीन के कर्षण हो जाने के बाद उसे शीघ्र ही वापस ले लेते हैं। बंजर भूमियों के कर्षण तथा उन्हें जोतने के लिये यदि हरिजन प्रस्तुत हों तो सरकार उन्हें प्रत्येक सुविधा सहर्ष देगी। इस विषय पर हरिजन सं० वि० स० गण से बातचीत हुई है तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे क्षेत्र चुनें जहां हरिजन कार्यभार ले सकते हैं।

विवरण

जिले का नाम।	इलाके जिनका कर्षण स० १९४९ में हुआ।		
	शारीरिक परिश्रम से।	ट्रैक्टर से।	योग
	एकड़।	एकड़।	एकड़।
१। पटना	...	१,८००	१,८००
२। गया	१०५.९५	६४८	७५३.९५
३। शाहाबाद	१०	१२	२२